हापुड़ पुलिस

प्रेस नोट

थाना - सिम्भावली **दिनांक 30.08.2024**

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी करते हुए 02 हत्यारोपियों को *आजीवन कारावास व 55 - 55 हजार रुपये (कुल 1.10 लाख रुपये) के अर्थदण्ड* से दण्डित कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वर्ष 2018 में अभियुक्त शंकर व पंकज द्वारा हर्षित गोयल की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेक दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था व ***करीब 75 दिनों में आरोप पत्र*** मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा ***थाना सिम्भावली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/2018 धारा 302, 201 भादवि मामले में*** मा0 न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 30.08.2024 को ***मा0 न्यायालय एडीजे द्वितीय हापुड़*** द्वारा ***02 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 55-55 हजार रुपये (कुल 1.10 लाख रुपये) के अर्थदण्ड*** से दण्डित किया गया है।

सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पताः-

1. शंकर पुत्र ध्रुव निवासी ग्राम खगोई थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।
2. पंकज पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम खगोई थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।